**संख्या-109/2026/334/69-1-2026-2020676**

**प्रेषक,**

**लाल मणि यादव,**
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

**सेवा में,**

**निदेशक,**
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

**नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।** **लखनऊ : दिनांक : 19 फरवरी, 2026**

**विषय वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-83 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-गोरखपुर एवं मऊ की 23 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

**महोदय,**

कृपया उपर्युक्त विषयकआपके पत्र संख्या-4634/10/छ:/विविध/2017-18 दिनांक 30.01.2026 एवं पत्र संख्या-4567/10/छ:/विविध/2017-18 दिनांक 28.01.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "**मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत**"वित्तीय वर्ष **2025-26** में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत **जनपद-गोरखपुर एवं मऊ** के विभिन्न निकायों की अल्पविकसित व मलिन बस्तियोंमें सी0सी0/इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 23 परियोजनाओं, जिसका विवरण तालिका में दिया गया है, हेतु कुल **रू. 655.23 लाख** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात **रू. 327.615 लाख (रूपये तीन करोड़ सत्ताईस लाख इकसठ हजार पांच सौ मात्र)** धनराशि की वित्तीय स्वीकृति पर श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू. में)

| क्र. सं. | जनपद का नाम | निकाय का नाम | जनपद वार कार्यों की संख्या | बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण। | परियोजना लागत | प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (लागत का 50 प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | मऊ | न0पा0प0 मऊनाथ भंजन | 1 | नगर पालिका परिषद मऊ वार्ड नं0 1 गालिबपुर में परमहंस भारती के मकान से होते हुए हरिराम लेखपाल के मकान होते हुए श्रीराम व प्रकाश टी०टी० के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य। | 13.71 | 6.855 |

http://shasanadesh.up.nic.in

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मऊ | न0पा0प0 मऊनाथ भंजन | **2** | नगर पालिका परिषद मऊ वार्ड नं0 1 गालिबपुर में कनक अस्पताल से होते हुए अशोक कुमार के मकान से रामरतन के मकान तथा लल्लन कुमार के मकान से राजकुमार व प्योजो 1 च भंजन एजेन्सी से एन०एच० 29 तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य। | 17.06 | 8.53 |
| | मऊ | न0पा0प0 मऊनाथ भंजन | **3** | नगर पालिका परिषद मऊ वार्ड नं0 1 गालिबपुर में अवधेश सिंह के मकान से होते हुए सुग्रीव कुमार, शिवम बन्रवाल, सुदामा प्रसाद के मकन तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य। | 15.05 | 7.525 |
| | मऊ | न0पा0प0 मऊनाथ भंजन | **4** | नगर पालिका परिषद मऊ वार्ड नं0 2 भीटी में रेखा सिंह के मकन से लल्लन साहनी का मकान होते हुए मुसरदह सरहद तथा विष्णु ड्राईवर का मकन होते नहर रोड तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 42.45 | 21.225 |
| | मऊ | न0पा0प0 मऊनाथ भंजन | **5** | नगर पालिका परिषद मऊ वार्ड नं0 2 भीटी में चौहान जी के मकान होते प्रदीप व विजयलाल के खेत होते बृजेश चौधरी के मकान होते हुए सती मां के स्थान तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 37.8 | 18.9 |
| | मऊ | न0पा0प0 मऊनाथ भंजन | **6** | नगर पालिका परिषद मऊ वार्ड नं0 2 भीटी में कमलेश गुप्ता के मकन से लेकर नहर आर०सी०सी० रोड व प्रेम सोनकर का घर होते पवन गोड तथा पखण्डी क जमीन होते शर्मा पत्रकर के मकन तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 35.94 | 17.97 |
| | मऊ | न0पा0प0 मऊनाथ भंजन | **7** | नगर पालिका परिषद मऊ वार्ड नं0 4 काझा खुर्द में हरिजन बस्ती में राजकुमार सिपाही के मकान से शम्भु राम, उर्मिला, चमेली का मकान होते हुए रेलवे सी०सी० रोड तक साईडवाल एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 28.44 | 14.22 |
| | मऊ | न0पा0प0 मऊनाथ भंजन | **8** | नगर पालिका परिषद मऊ वार्ड नं0 4 काझा खुर्द में पिच रोड से बालकरण यादव का मकान होते हुए बाल किशुन के मकान तक साईडवाल व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 5.76 | 2.88 |

http://shasanadesh.up.nic.in

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मऊ | न0पा0प0 मऊनाथ भंजन | **9** | नगर पालिका परिषद मऊ वार्ड नं0 4 काझा खुर्द में चौहान बस्ती में संजय चौहान के मकान से खडण्जा रोड तथा प्राइमरी स्कूल तक साईडवाल व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 21.18 | 10.59 |
| | मऊ | न0पा0प0 मऊनाथ भंजन | **10** | नगर पालिका परिषद मऊ वार्ड नं0 7 परदहां में दलित बस्ती में मनोज एडवोकेट के मकान से काशीनाथ व छोटेलाल का मकान होते हुए जितेन्द्र के मकान तक क्कर्ड नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 18.72 | 9.36 |
| | मऊ | न0पा0प0 मऊनाथ भंजन | **11** | नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन वार्ड नं0 7 परदहां दलित बस्ती में ब्लॉक रोड पर विरेन्द्र वर्मा के नलकूप से अनीता देवी के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य। | 16.46 | 8.23 |
| | मऊ | न0पं0 दोहरीघाट | **12** | नगर पंचायत दोहरीघाट वार्ड नं0 02 में पुल ढलान से एम०आर०एफ० सेन्टर मेन रोड तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य। | 20.83 | 10.415 |
| | मऊ | न0पं0 दोहरीघाट | **13** | नगर पंचायत दोहरीघाट वार्ड नं0 04 में पुल ढलान से ओमप्रकाश के मकान तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य। | 18.04 | 9.02 |
| | मऊ | न0पं0 कुर्थीजाफरपुर | **14** | नगर पंचायत कुर्थीजाफरपुर वार्ड नं0 1 में विनोद साहनी के मकान से बेचन भारती के मकान तक क्कर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 19.67 | 9.835 |
| | मऊ | न0पं0 कुर्थीजाफरपुर | **15** | नगर पंचायत मुहम्मदाबाद गोहना मुहल्ला जमीन बरामदपुर दक्षिणी वार्ड नं0 03 में आजमगढ़-मऊ मुख्य मार्ग से इन्द्रजीत राम के मकान तक इण्टरलाकिंग व क्कर्ड नाली निर्माण कार्य। | 18.8 | 9.4 |
| | मऊ | न0पं0 अमिला | **16** | नगर पंचायत अमिला वार्ड नं0 2 में अम्बेडकर चौक से आयुर्वेदिक अस्पताल तक नाली व इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य। | 26 | 13 |
| | मऊ | न0पं0 चिरैयाकोट | **17** | नगर पंचायत चिरैयाकोट वार्ड न० 02 मुहल्ला कमालचक में रासेपुर खरिहानी मार्ग पर शिवम इंजीनियरिंग की वर्कशाप से पुलिया तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य। | 20.05 | 10.025 |

http://shasanadesh.up.nic.in

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | मऊ | न0पं0 चिरैयाकोट | **18** | नगर पंचायत चिरैयाकोट वार्ड न0 02 कमालचक में पुरानी इण्टरलाकिंग रोड के पास लल्लन कुमार के खेत से मन्नु कुमार के मकान तक कवर्ड नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण | 14.23 | 7.115 |
| | | | **18** | **योग** | **390.19** | **195.095** |
| **2** | गोरखपुर | न0पं0 बांसगांव | **1** | वार्ड सं0 12/01 में सुभाष हरिजन के घर से मनबोध के घर तक सी०सी० सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 94.79 | 47.395 |
| | गोरखपुर | न0पं0 बांसगांव | **2** | वार्ड सं0 12/01 में ओम प्रकाश शर्मा के घर से श्रीकान्त हरिजन के घर तक सी०सी० सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 97.79 | 48.895 |
| | गोरखपुर | न0प0 सहजनवा | **3** | वार्ड सं0 01 विरेन्द्र के मकान से सुखदेव के मकान तक सी०सी० सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 22.3 | 11.15 |
| | गोरखपुर | न0प0 सहजनवा | **4** | वार्ड सं0 04 में पुरुषोत्तम के मकान से नगर पंचायत रोड तक सी०सी० सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 22.6 | 11.3 |
| | गोरखपुर | न0प0 सहजनवा | **5** | वार्ड सं0 05 में विनोद के मकान से जय सिंह के मकान तक सी०सी० सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 27.56 | 13.78 |
| | | | **5** | **योग** | **265.04** | **132.52** |
| | | | **23** | **कुल योग** | **655.23** | **327.615** |

**(रूपये तीन करोड़ सत्ताईस लाख इकसठ हजार पांच सौ मात्र)**

1. उक्त धनराशि का उपयोग प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-117/2017/1279/69-1-17-14(31)/2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व सूडा/डूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजना/आगणन का गठन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ई-8-1210-दस/2008 दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप किया गया है।

6. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

9. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।

10. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अपर मुख्य सचिव/ सचिव, विशेष सचिव तथा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।

12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

13. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

14. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।

15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2026 तक व्यय हो सके।

16. निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त होने वाली धनराशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

17. **प्रश्नगत परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित परियोजना निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, डूडा की होगी।**

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26केआय-व्ययक के **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 2217047890500 मुख्यमंत्री नगरीयअल्प विकसित व मलिन बस्ती चालू विकास योजना **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न **संख्या- ई-9-318-X-2025-26 दिनांक- 18 फरवरी, 2026** में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

http://shasanadesh.up.nic.in

**(लाल मणि यादव)**
**उपसचिव।**

**<u>संख्या व दिनांक-तदैव।</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, प्रयागराज।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।
5. निजी सचिव,प्रमुखसचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, **गोरखपुर एवं मऊ।**
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
9. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
11. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।
12. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

**(लाल मणि यादव)**
**उप सचिव।**

http://shasanadesh.up.nic.in